नोट शीट

कार्यवाही विवरण

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग रामपुरा के पत्र कमांक/117/ तक./रामपुरा दिनांक 07.11.2019 के अनुसार कालिया खो जलाशय का वन भूमि अधिग्रहण संबंधी स्टेज 1 प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के लिये उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अनुशंसा हेतु दिनांक 22-01-2021 को प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

कालिया खो जलाशय निर्माण के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ग्राम पंचायत साकरिया खेडी की 19.50 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किया जाना है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अंतर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति के समक्ष ग्राम पंचायत साकरिया खेडी की ग्राम सभा मे अनुमोदन एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र कि कालिया खो जलाशय निर्माण से वन भूमि एवं राजस्व भूमि के डूब मे आने पर ग्राम पंचायत को किसी प्रकार की आपत्ति नही है। ग्राम सभा से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुशंसा के आधार पर कालिया खों जलाशय निर्माण हेतु 19.50 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किये जाने के लिये उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है।

(अमृतलाल मालवीय)
प्रतिनिधि (पदेन सचिव)
आदिम जाति कल्याण विभाग एवं
सदस्य
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति मनासा

(एस.के.अटोदे)
उपवनमण्डलाधिकारी एवं
सदस्य
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति मनासा

(मनीष कुमार जैन)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं
अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति मनासा